दिनांक 08 फरवरी 2021

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

बकायादारों पर कार्रवाई करने कुर्की वारंट की दूसरी सूची जारी , 30 बकायादारों को जारी हुआ कुर्की वारंट

भिलाईनगर/ निगम प्रशासन ने संपत्तिकर के 30 बकायादारों को कुर्की वारंट जारी किया है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की वारंट जारी किया गया है। इन संपत्तिकर के बकायादारों को संपत्तिकर जमा कराने के लिये बहुत सारे मौके दिये गए , फिर भी बकायेदारों द्वारा सम्पत्तिकर का टैक्स जमा नहीं किया गया। कुर्की वारंट से पूर्व सम्पत्तिकर के इन 30 बकायादारों को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 के तहत टैक्स जमा करने नोटिस जारी किया गया था फिर भी बकाया राशि जमा नहीं करने पर धारा 174 के तहत नोटिस दिया गया। इतने अवसर देने के बावजूद बकायेदारों ने अपना टैक्स जमा नहीं किया। अब सख्ती से कार्रवाई करने निगम ने कुर्की वारंट जारी किया है। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी टैक्स वसूली को लेकर बेहद गंभीर है। समय-समय पर टैक्स वसूली की समीक्षा उन्होंने की है। शत प्रतिशत वसूली को लेकर उन्होंने राजस्व , सम्पत्तिकर एवं स्पेरो को निर्देश दिये है। पुराने बकायेदारों से वसूली सहित डोर टू डोर कलेक्शन पर उन्होंने विशेष फोकस करने निर्देशित किया है। निगम की टीम वसूली को लेकर डीमांड नोटिस के साथ घरों में पहुंच रही है। मुनादी के माध्यम से समय पर अपना टैक्स जमा करने लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। कुर्की वारंट को लेकर भी निगम सख्त है और नियुक्त कुर्की अधिकारी वारंट की तामिली भी करा रहे है। कुर्की वारंट मिलने पर कुछ बकायदारों ने अपना टैक्स भी जमा कर दिया है। परन्तु जिन्होंने अपना टैक्स जमा नहीं किया है उन बकायादारों पर कुर्की की कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व ही 23 बकायेदारों को कुर्की का वारंट जारी किया गया था। अब दूसरी सूची में 30 बकायेदारों को शामिल किया गया है। इसके लिये कुर्की अधिकारी बालकृष्ण नायडू को नियुक्त किया गया है। श्री नायडू ने बताया कि कुर्की वारंट की तामिली कराई जा रही है। जारी वारंट के 30 बकायेदार में से 01 ने अपना टैक्स जमा कर दिया है। शेष लोगों से लगातार संपर्क किया जा रहा हे। समय पर अपना सम्पत्तिकर बकायेदार जमा नहीं करेंगे तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कुर्की वारंट की अगली सूची भी जल्द जारी की जाएगी!

जनसम्पर्क अधिकारी